न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 137/2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू0राअधि0

तिरूमल्ला तिरूपति देवस्थान द्वारा डिप्टी एग्जिक्यूटिव इंजीनियर नई दिल्ली आदि

बनाम

1. महन्त देवेन्द्रदास चेला महन्त इन्द्रेश चरणदास सज्जादानशीन दरबार श्री गुरूराम राय जी महाराज, झण्डा बाजार, देहरादून, 2. राजपुर कम्युनिटी इनीसियेटिव द्वारा अध्यक्ष श्रीमती रीणु पाल पता 15/5 राणा एनक्लेव, निकट शहंशाही आश्रम, राजपुर, देहरादून 3.उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0सी0 शर्मा।

अधिवक्तागण प्रतिउत्तरदाता संख्या–02 : श्री संजय रौतेला एवं श्री एन0के0 थापा।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने कलेक्टर, देहरादून द्वारा कार्यवाही संख्या–18/2012–13 तिरूमल्ला तिरूपति देवस्थानम बनाम देवेन्द्र दास में पारित आदेश दिनांक 23–09–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः–

भूमि खसरा संख्या हाल 58ग क्षेत्रफल 0.1320 है0, खसरा नम्बर 59 क्षेत्रफल 0.1550 एवं खसरा नम्बर 60 क्षेत्रफल 0.1480 है0 कुल क्षेत्रफल 0.4250 है0 ग्राम राजपुर माफी, परगना केन्द्रीय दून, तहसील व जिला देहरादून के स्वंय के पक्ष में नामान्तरण हेतु तिरूमल्ला तिरूपति देवस्थानम द्वारा नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 26–12–2012 को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर, देहरादून ने जमींदार गुरू राम राय दरबार द्वारा दिनांक 20–09–1939 एवं 02–11–1940 को किये गये कथित स्थाई पट्टा विलेखों, वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण प्रार्थी के अध्यासन, जमींदार के अनापत्ति एवं जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) की विधिक राय के आधार पर निगरानीकर्ता/नामान्तरण प्रार्थी का नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 30–01–2013 को स्वीकार किया। दिनांक 11–09–2015 को कलेक्टर, देहरादून के समक्ष श्रीमती रीणु पाल अध्यक्ष राजपुर कम्युनिटी इनीसियेटिव निवासी 15/5 राणा एनक्लेव, निकट शहंशाही आश्रम,

राजपुर, देहरादून ने एक प्रार्थना उक्त आदेश दिनांक 30–01–2013 को वापस लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसपर विद्वान कलेक्टर ने निम्न आदेश दिनांक 11–09–2015 पारित किया :–

" दर्ज कर सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी करें। मूल पत्रावली तलब करें। तब तक आदेश दिनांक 30–01–2013 के कियान्वयन पर स्थगन आदेश / यथास्थिति।"

दिनांक 23–09–2015 को पक्षकारों को नोटिस जारी किये जाने के आदेश के साथ दिनांक 30–01–2013 को पारित आदेश के कियान्वयन एवं स्थगन सम्बन्धी आदेश का विस्तार 28–01–2015 तक किया गया एवं स्थल पर यथास्थिति रखे जाने के आदेश भी पारित किए गए। इस आदेश दिनांक 23–09–2015 के विरूद्व ही वर्तमान निगरानी प्रस्तुत हुई है।

मैंने निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या–2 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क है कि दिनांक 30–01–2013 को निगरानीकर्ता के पक्ष में पारित नामान्तरण आदेश का अमलदरामद हो गया था। उत्तरदाता संख्या–02 के बिना तिथि के प्रार्थना पत्र पर विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा बिना निगरानीकर्ता को नोटिस जारी किये अथवा सुने ही उपरिवर्णित आदेश दिनांक 11–09–2015 पारित किया गया एवं उसके अतिरिक्त दिनांक 23–09–2015 को उक्त आदेश को न केवल विस्तारित किया गया अपितु स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया, कि दिनांक 18–11–2015 को बिना नोटिस / सम्मन की तामीली की पुष्टि के पूर्व आदेश को विस्तारित किया गया। उत्तरदाता संख्या–02 / आपत्तिकर्ता मूल नामान्तरण की कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार नहीं है तद्नुसार वह नामान्तरण आदेश दिनांक 30–01–2013 को विधितः चुनौती नहीं दे सकता था परन्तु विद्वान कलेक्टर ने आनन–फानन बिना निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही वर्णित आदेश पारित कर दिये। आदेश दिनांक 30–01–2013 एकपक्षीय आदेश नहीं है। आदेश दिनांक 30–01–2013 को वापस लिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र की जानकारी स्वंय उत्तरदाता संख्या–02 / आपत्तिकर्ता के प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 25–07–2015 को हो गई थी तद्नुसार कार्यवाही पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र कालबाधित है जिसके साथ धारा–5 कालावधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र तक नहीं प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है न ही उत्तरदाता संख्या–2 / आपत्तिकर्ता की क्षुब्धता (grievance) स्पष्ट है जबकि विद्वान कलेक्टर ने आक्षेपित आदेश पारित करने में अनावश्यक एवं अनौचित्यपूर्ण तत्परता प्रदर्शित की है। जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) की राय पूर्व में नामान्तरण के समर्थन में दी गई जबकि बाद में राय ठीक पूर्व राय के विपरीत दी गई है जिसका आशय कोई भी लगा सकता है। आदेश दिनांक 18–11–2015 में काँट–छाँट की गई है एवं प्रार्थना पत्र पर पृथक आदेश पारित है जबकि एक आदेश विस्तृत रूप से पारित किया गया है एवं आदेश पत्र पर कुछ भी अंकित

नहीं है। आक्षेपित आदेश पूर्व में पारित किए गए हैं एवं नोटिस बाद में भेजे गये हैं। उत्तरदाता संख्या–2/आपत्तिकर्ता को कार्यवाही में हस्तक्षेप का विधिक अधिकार (locus standi) नहीं है। यदि पूजा आदि किये जाने में बाधा की जा रही है तो उससे नामान्तरण अप्रभावित रहता है एवं प्रकरण व्यवहार एवं फौजदारी न्यायालयों से सम्बन्धित होता है। निगरानीकर्ता संस्था एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसे किसी तीसरे पक्ष की निस्सार आपत्ति के आधार पर नीचा दिखाने एवं बदनाम किये जाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वादग्रस्त भूमि के नामान्तरण हेतु जमींदार द्वारा अनापत्ति दी गई है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा तद्नुसार निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश एवं पश्चातवर्ती समस्त आदेशों को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रतिउत्तरदाता संख्या–2/आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कथित पट्टा विलेख के आधार पर 75 वर्षों तक नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की गई, कि अब नामान्तरण की कार्यवाही की आवश्यकता कैसे हो गई यह विचारणीय है, कि नामान्तरण आदेश दिनांक 30–01–2013 के आधार पर भूमि जो कि धार्मिक प्रयोजनार्थ दी गई है का स्वरूप बदला जा रहा है एवं पूजा पद्वति बदली जा रही है जिसका निगरानीकर्ता को विधितः अधिकार नहीं है एवं कि आक्षेपित आदेश एक अन्तर्वर्तीय आदेश है जिसके विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है, कि यथास्थिति के आदेश एवं मूल कार्यवाही के पुनर्जीवन से निगरानीकर्ता को कोई क्षति नहीं होती क्योंकि अन्ततः कार्यवाही गुणदोष के आधार पर ही निर्णीत होनी है। तद्नुसार विद्वान अधिक्ता द्वारा निगरानी अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई। उनके द्वारा एक न्यायिक सिद्वान्त भी प्रस्तुत किया गया जिसे यथास्थान विवेचित किया जा रहा है।

दिनांक 30–01–2013 के द्वारा आदेशित नामान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र अभी सुनवाई के स्तर (stage) पर नहीं आ पाया है परन्तु विद्वान कलेक्टर, देहरादून ने उक्त पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों के दृष्टिगत सम्बन्धित पक्षकारों को सूचित किये जाने, पत्रावली अध्याचित किये जाने एवं नामान्तरण आदेश के कियान्वयन पर स्थगन का आदेश पारित किया है एवं यथास्थिति भी आदेशित की है यह विद्वान कलेक्टर के आदेश दिनाक 11–09–2015 एवं 23–09–2015 से स्पष्ट है। उन्होंने अभी तक मूल कार्यवाही का पुनर्जीवन आदेशित नहीं किया है।सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी किये जाने एवं उनकी तामीली का ही प्रक्रम (stage) मूल पत्रावली के इस न्यायालय से अध्याचन तक आ पाया था। तद्नुसार निगरानी का एकमात्र आधार नामान्तरण आदेश दिनांक 30–01–2013 के कियान्वयन का स्थगन एवं स्थल पर यथास्थिति बनाए जाने सम्बन्धी आदेश रह जाता है। स्पष्ट है कि विद्वान कलेक्टर द्वारा मूल कार्यवाही के पुनर्जीवन से पूर्व पक्षकारों को नोटिस भेजकर धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम के प्राविधानों का पालन किया जा रहा था जो विधितः उचित हैं। जहाँ तक नामान्तरण आदेश दिनांक 30–01–2013 के प्रभाव को स्थगित किये जाने का प्रश्न है मेरी राय में धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम के परन्तुक में

जहाँ पूर्व पारित आदेश को उलटने अथवा परिवर्तित करने से पूर्व ऐसे पक्षकार जिसके पक्ष में ऐसा पूर्व निर्णय/आदेश पारित किया गया है को उपस्थित होने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया जाना अनिवार्य है, ऐसे आदेश के स्थगन हेतु पर्याप्त आधार/कारण विद्यमान होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित सक्षम न्यायालय की सन्तुष्टि होने की स्थिति में उसका स्थगन अन्तरिम रूप से वर्जित नहीं है। निर्णय/आदेश के प्रभाव का स्थगन एक अन्तरिम पग है जिसे आदेश को उलटने अथवा परिवर्तित करने की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तद्नुसार निगरानी का यह आधार भी पोषणीय (tenable) नहीं है।

स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने सम्बन्धी आदेश पर यदि दृष्टिपात करते हैं तो उपयुक्त आधारों पर सक्षम न्यायालय को ऐसा अन्तर्वर्तीय आदेश पारित करने की शक्ति सामान्यतः एवं धारा–151 दीवानी प्रकिया संहिता के अधीन प्राप्त है। यदि धारा–151 दीवानी प्रकिया संहिता के अवयव विद्यमान हों तो यथास्थिति सम्बन्धी अन्तर्वर्तीय आदेश विधितः पारित किया जा सकता है। तद्नुसार इस दृष्टि से भी निगरानी का कोई आधार नहीं बनता है। दूसरी ओर विद्वान कलेक्टर ने उक्त अन्तर्वर्तीय आदेश, चाहे वह नामान्तरण आदेश दिनांक 30–01–2013 के कियान्वयन को स्थगित करने सम्बन्धी हो अथवा स्थल पर यथास्थिति बनाए रखे जाने सम्बन्धी हो, को अनिश्चितकाल के लिए नहीं पारित किया है। उन्होंने पक्षकारों को नोटिस तामीली आदेशित कर उनकी उपस्थिति की तिथि निर्धारित कर उपस्थिति की तिथि तक ही उक्त अन्तर्वर्तीय आदेशों को विस्तारित किया है जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। वैसे भी उक्त आदेश दिनांक 02–12–2015 के उपरान्त प्रभावी नही है।

दूसरी ओर मैं उत्तरदाता संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क एवं न्यायिक व्यवस्था आर0डी0 2013(118) पृष्ठ 37 उदिता गुप्ता आदि बनाम श्रीमती फूलवती आदि राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश में प्रतिपादित सिद्वान्त कि अन्तर्वर्तीय आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं से सहमत हूँ क्योंकि अन्तर्वर्तीय आदेश से क्षुब्ध होने की स्थिति में ऐसे आदेश पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष ही उसे वापस लिये जाने, संशोधित किये जाने अथवा अपास्त किए जाने की प्रार्थना की जा सकती है। इस दृष्टि से भी निगरानी स्वीकारणीय नहीं है।

जहाँ तक निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि उत्तरदाता संख्या–2/आपत्तिकर्ता का मूल नामान्तरण कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार (locus standi) न होने का प्रश्न अथवा कार्यवाही पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र के कालबाधित होने या उसके आलोच्य कार्यवाही में असम्बद्व पक्ष होने का प्रश्न है या अन्य गुणावगुण सम्बन्धी तर्कों का प्रश्न है ये सभी तर्क व तथ्य विद्वान कलेक्टर के समक्ष उठाये जा सकते हैं। निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06–01–2015 को अपनी आपत्ति के साथ वर्णित अन्तर्वर्तीय आदेशों को खण्डित करने की प्रार्थना की है परन्तु अपने प्रार्थना पत्र के निस्तारण की प्रतीक्षा

नहीं की है। इस दृष्टि से भी निगरानी अनावश्यक शीघ्रता से प्रस्तुत की गयी है इसलिए अपरिपक्व है।

आदेश

निगरानी अस्वीकार की जाती है एवं मूल कार्यवाही की पत्रावली विद्वान कलेक्टर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि मूल कार्यवाही के पुनर्जीवन एवं उसके क्रम में पारित अन्तर्वर्तीय आदेशों पर निगरानीकर्ता की आपत्ति के आलोक में शीघ्र सुनवाई कर निर्णय लें। उभयपक्ष विद्वान कलेक्टर के न्यायालय में दिनांक 17–08–2016 को उपस्थित हों। उक्त तिथि तक उभयपक्ष स्थल पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **13–07–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)